न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी डॉ. राजेश गोयल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 04/2017 – निगरानी

1. रणजीत पुत्र रामपाल जाट निवासी जाट मौहल्ला आंगूचा तहसील हुरड़ा
2. नन्दू देवी पत्नी खेमराज जाट निवासी जाट मौहल्ला आंगूचा तहसील हुरड़ा
3. अलोल देवी पत्नी रामपाल जाट निवासी जाट मौहल्ला आंगूचा तहसील हुरड़ा जिला भीलवाड़ा

–निगराकार

बनाम

1. प्रेमदेवी पत्नी ओमप्रकाश जाट निवासी जाट मौहल्ला आंगूचा तहसील हुरड़ा जिला भीलवाड़ा
2. ग्राम पंचायत आंगूचा जरिये सचिव ग्राम पंचायत आंगूचा तहसील हुरड़ा जिला भीलवाड़ा

– गैर निगराकार

निगरानी विरूद्ध निर्णय ग्राम पंचायत आंगूचा पट्टा कंमाक 43 संकल्प संख्या 27 पट्टा दिनांक 16/12/2013
निगरानी अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम

उपस्थित –

1. श्री रामस्वरूप जोशी अधिवक्ता – निगराकार की ओर से
2. श्री राजेश कुमार मेहता अधिवक्ता – गैर निगराकार संख्या 01 ओर से
3. श्री रमेशचन्द्र शर्मा अधिवक्ता – गैर निगराकार संख्या 02 की ओर से

निर्णय

दिनांक 19.09.2022

निगराकार की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम विरूद्व गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि आबादी हल्का जाटों का मौहल्ला, आंगूचा तहसील हुरड़ा जिला भीलवाड़ा में निगराकारगण का एक आवासीय पुश्तैनी मकान स्थित है। निगराकारगण अपने आवासीय मकान के आगे स्थित चौक का अपने पूर्वाधिकारी के समय से ही उपयोग उपभोग कर रहे हैं और वर्तमान में करीब 3 माह पूर्व अपने मकान के दक्षिण दिशा में स्थित भू–भाग पर शौचालय निर्माण करने हेतु टैंक खुदवाया और निर्माण कार्य प्रारम्भ किया तो गैरनिगराकार संख्या 1 ने अनावश्यक विवाद उत्पन्न करते हुए निगराकारगण

अति. जिला कलक्टर
भीलवाडा

के साथ लडाई–झगडा किया और निगराकार संख्या 1 को तथाकथित पट्टे एवं पट्टा विलेख की फोटोप्रति दिखाते हुए धमकी दी की निगराकारगण के आवासीय मकान के चौक का हमने गैरनिगराकार संख्या 2 से पट्टा अपने पक्ष में बना लिया है और पट्टा विलेख भी हमारे हक में निष्पादित हो चुका है और तुम निर्माण नही कर सकते। गैरनिगराकार संख्या 1 ने बिना किसी हक अधिकार के राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों की अवहेलना कर तथाकथित पट्टा अपने पक्ष में जारी करवाया है जबकि तथाकथित पट्टे में दर्शित नक्शे में भी निगराकार की भूमि के क्षेत्रफल में से गैर निगराकार संख्या 01 के पक्ष में पट्टा दिया जाना अंकित है जो विधिविरूद्ध है। विवादित स्थल पर न तो गैरनिगराकार संख्या 1 का कभी कब्जा ही रहा है एवं न ही गैरनिगराकार संख्या 1 पुश्तैनी हक, अधिकार का ही है। गैरनिगराकार संख्या 1 की उम्र वर्तमान में 43 वर्ष हैं और उसके पक्ष में गैर निगराकार संख्या 2 द्वारा आवासीय भूमि का पट्टा पुश्तैनी हक अधिकार से जारी किया है, जबकि गैरनिगराकार संख्या 1 अन्य गांव की होकर ओमप्रकाश जाट के यहां विवाह कर आयी है और उसका कोई पुश्तैनी हक अधिकार वादग्रस्त जायदाद में उत्पन्न नही होता है। गैर निगराकार संख्या 2 ने राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा 148 से 158 में वर्णित प्रावधानों की अवहेलना कर तथाकथित पट्टा गैरनिगराकार संख्या 1 के पक्ष में जारी किया है जो निरस्त होने योग्य है। प्रार्थना है कि निगराकारगण की निगरानी याचिका स्वीकार फरमायी जाकर गैरनिगराकार संख्या 1 के पक्ष मे जारी तथाकथित संकल्प संख्या 27 पट्टा संख्या 43 निर्णय दिनांक 16/12/2013 को निरस्त फरमाया जावे।

प्रस्तुत निगरानी पंजीबद्व की जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। विपक्षी संख्या 01 की ओर से जवाब पेश किया गया। विपक्षी संख्या 02 की ओर से रिकार्ड तलब किया गया। प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

निगराकार ने अपनी बहस में निगरानी मेमों में प्रस्तुत तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि गैर निगराकार संख्या 1 ने बिना किसी हक अधिकार के राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों की अवहेलना कर तथाकथित पट्टा अपने पक्ष में जारी करवाया है जबकि तथाकथित पट्टे में दर्शित नक्शे में भी निगराकार

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

पर करवाया गया हैं। रजिस्टर्ड पटटे को निरस्तीकरण का क्षैत्राधिकार सिविल न्यायालय को है।

प्रकरण में पूर्व में मान. न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश गुलाबपुरा के यहां जैरकार मुकदमा नंबर 59/2016 में अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 जाप्ता दीवानी के तहत पेश किया गया जो प्रकरण संख्या 45/2016 पर उभयपक्षों को सुनने के उपरांत दिनांक 12.09.2017 को प्रकरण में उभयपक्षों को मूल वाद के निस्तारण तक विवादित स्थल को नजरी नक्शे अनुसार यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया गया है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत ने उक्त प्रश्नगत पटटा राजस्थान पंचायती राज नियमों के तहत मिसल पत्रावली कायम कर विधिवत् जारी किया गया, जिसमें कोई त्रुटि प्रतीत नही होती है। प्रकरण में मान. न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश गुलाबपुरा के यहां जैरकार होने से एवं निगराकार की निगरानी सारहीन व आधारहीन होने से स्वीकार योग्य नहीं ठहरती हैं। अतएव–

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम के तहत तथ्यहीन, सारहीन एवं आधारहीन होने से अस्वीकार की जाती हैं। निर्णय की प्रति मय तलबिदा रिकार्ड ग्राम पंचायत आंगूचा पंचायत समिति हुरडा को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 19.09.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा